रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1617] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 14, 2014/श्रावण 23, 1936
No. 1617] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 14, 2014/SHRAVANA 23, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2014

का.आ. 2066(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (3) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (2) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:— शक्तियों

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 23 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

सारणी

(1)	(2)	(3)
“23	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 [किमी 152.00 से किमी 218.200 (उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड सीमा से हरिद्वार से नेपाली फार्म खंड) और किमी 228.00 से किमी 524.000 तक खंड को छोड़कर], सं. 72, [(किमी 165.000 से किमी 196.825 (नेपाली फार्म – देहरादून	उत्तराखंड राज्य सरकार

	खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 72ए, सं. 73, सं. 74 {किमी 175.000 से किमी 264.000 (काशीपुर – सितारगंज – बरेली खंड) तक खंड को छोड़कर}, सं. 87, [सिमली से कर्ण प्रयाग (7.00 किमी) और किमी 43.30 से किमी 88.00 (रामपुर से काठगोदाम) (उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 94 (किमी 123 से किमी 218 धरासू से कुठनौर निकट यमनोत्री), सं. 119, सं. 121, सं. 123, सं. 125 नई रारा सं. 107ए, नई रारा सं. 309ए **और नई रारा सं. 334ए** के उतने भाग जो उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं ।	

[फा. सं. एनएच-14013/8/2014-पीएंडएम (पार्ट)]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण : मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे अंतिम बार का.आ. 1396 (अ), तारीख 28 मई, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2014

S.O. 2066(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 23 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

TABLE

(1)	(2)	(3)
"23	So much of National Highways No. 58 [excluding from Km. 152.00 to Km. 218.200 (Uttar Pradesh/Uttarakhand Border to Haridwar to Nepali Farm section) and from km. 228.00 to Km. 524.000], No. 72 [excluding from Km. 165.000 to Km. 196.825 (Nepali Farm – Dehradun Section)], No. 72A, No. 73, No. 74 [excluding from Km.175.000 to Km.264.000 (Kashipur-Sitarganj-Bareilly Section)], No. 87 [excluding from Simli to Karna Prayag (7.00Km) and from km. 43.30 to km. 88.00(Rampur to Kathgodam) (Uttar Pradesh/Uttarakhand Border)], No. 94 [from Km. 123 to Km. 218 (Dharasu to Kuthnaur near Yamnotri)], No. 119, No. 121, No. 123, No. 125, new National Highway No. 107A, new National Highway No. 309A **and new National Highway No. 334A** as are situated within the State of Uttrakhand.	State Government of Uttrakhand."

[F. No. NH-14013/8/2014-P&M (Pt)]

MAYA PRAKASH, Director (P& B)

Note: The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended *vide* number S.O. 1396 (E), dated the 28th May, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.